TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 29TH MARCH, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 29th March, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) number S.O. 15(E) dated the 11th January, 1994, issued under clause (b) to the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, Yogiji Maharaja Mahavidyalaya and Educational Complex (College) for rural women at Dhari, Gujarat by Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri, Via – Anand, Gujarat-388345, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-95, which was extended vide S.O. 407(E) dated 3rd May, 1995 for a period of three more years beginning with assessment year 1996-97, which was further extended vide S.O. 389(E) dated 19th May, 1997 by a period of two more years beginning with assessment year 1999-2000.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Yogiji Maharaja Mahavidyalaya and Educational Complex (College) for rural women at Dhari, Gujarat, which is being carried out by Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Via – Anand, Gujarat-388345, at the estimated cost of rupees one hundred ninety-four lakhs fifty thousand plus a corpus fund of rupees eighty-six lakhs fifty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 1129 5

F.No. NC-5/2000

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, उपखण्ड(ii) में दिनांक 29 मार्च, 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2000

अधिसूचना

सा0 आ0--------(अ) जबकि आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 जनवरी, 1994 को जारी अधिसूचना सं0 सा0 आ0 15(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 13 पर अनुपम मिशन, ब्रह्म ज्योति योगी जी मार्ग, मोगरी, वाया-आनंद, गुजरात-388345 की धारी, गुजरात में ग्रामीण महिलाओं हेतु योगी जी महाराज महाविद्यालय एवं शैक्षणिक काम्प्लेक्स(महाविद्यालय) को कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 3 मई, 1995 की अधिसूचना सं0 407(अ) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया था, जिसे पुनः दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 389 (अ) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले और दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा के आठ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है,

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपम मिशन ब्रह्म ज्योति योगी जी मार्ग, वाया-आनंद, गुजरात-388345 द्वारा धारी, गुजरात में चलाई जा रही ग्रामीण महिलाओं के लिए योगी जी महाराज महाविद्यालय एवं शैक्षणिक काम्प्लेक्स(महाविद्यालय) की स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में मात्र छियासी लाख पचास हजार रुपए की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2001-2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

सं0 11295
फा0 सं0 एन0 सी0 5/2000